

पत्रांक :-3/यो.1-01/2017 (उ0शि0)(अंश) 51/9445

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 04/06/2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में चांसलर-पोर्टल से संबंधित कार्यों के लिए रु0 12,10,326/- (बारह लाख दस हजार तीन सौ छब्बीस रुपये) मात्र भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 50/बजट दिनांक 03.06.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में चांसलर-पोर्टल से संबंधित कार्यों के लिए रु0 12,10,326/- (बारह लाख दस हजार तीन सौ छब्बीस रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष- BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)। विपत्र कोड-21S220203102BS010679 के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के संकल्प संख्या 427 दिनांक 27.02.2015 के आलोक में NICSİ से Pre-receipt विपत्र प्राप्त कर Fully Vouched Bill के रूप में निकासी करेंगे तथा उक्त राशि का अंतरण RTGS/ Bank Draft के माध्यम से NICSİ के Bank Account No- NICSİPPCJH160761, Corporation Bank, CMS Hub, Bangalore, IFSC Code- CORP0000633 अथवा Bank Account No- NICSİPPCJH160761, ICICI Bank, New Delhi, IFSC Code- ICIC0000104 में किया जायेगा।

4. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 50/बजट दिनांक 03.06.2024 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री बिन्दु माधव प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-3/यो.1-01/2017 (उ0शि0)(अंश) 51/9445/राँची, दिनांक- 04/06/2024

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-3/यो.1-01/2017 (उ0शि0)(अंश) 51/945 /राँची, दिनांक- 04/06/2024
प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के
प्रधान आप्त सचिव/ Managing Director, NICSI, New Delhi/ SIO, NIC Jharkhand State Centre,
Ranchi/State Nodal Officer, Chancellor Portal, Ranchi/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं
तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय
पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नोक्त दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO1-01/2017/51/BUDGET

दिनांक - 04-Jun-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BS010679	31166	DRNEDN046	1,210,326.00
	2202 - सामान्य शिक्षा			
	03 - निम्नविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा		SUDHIR KUMAR	रुपये बारह लाख दस हजार तीन सौ छब्बीस
	102 - विद्याविद्यालयों को सहायता		UNDER	
	BS - निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पोली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं		SECT.HIGHER	
	01-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पोली में कक्षा का संचालन, नैक		EDU.DIR.JHA.	
	प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)			
	State Scheme			
	State Scheme :		FREE & DISTANCE EDUCATION, COACHING CENTER, WORKSHOP, CONSULTANCY, SECOND	
	Central Scheme :		SHIFT CLASSES, NAAC, RESEARCH, INCUBATION CENTER AND GRANTS-IN-AID TO VITTA RAHIT	
			COLLEGES(2107)	



योग: रुपये बारह लाख दस हजार तीन सौ छब्बीस

1,210,326.00

क्रमिक योग:

(RAMNIWAS YADAV)

DIRECTOR